



कार्यालय – वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, वन भवन, हजारीबाग  
06546-222339, Fax no.06546-222339, Email- [dfo.hazaribaghwest@rediffmail.com](mailto:dfo.hazaribaghwest@rediffmail.com)

पत्रांक 4091

दिनांक 6/7/19

सेवा में,

श्री असीम मिश्रा,  
अपर महाप्रबंधक (खनन),  
एन०टी०पी०सी० लिमिटेड,  
पकरी बरवाडीह कोयला खनन,  
परियोजना, पी०बी०सी०एम०पी०,  
पगमल रोड़ हजारीबाग।

**विषय:-** वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत N.T.P.C पकरीबरवाडीह कोल माइनिंग खनन परियोजना हेतु 331.198 हे० वन भूमि का अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

**प्रसंग:-** आपका पत्रांक PBCMP/2019/Forest/ 02 दिनांक 21.06.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 (संशोधन नियम 2014) के तहत N.T.P.C पकरीबरवाडीह कोल माइनिंग ब्लॉक हेतु 331.198 हे० वन भूमि का अपयोजन प्रस्ताव हेतु नवीन वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव ऑन लाईन अपलोड कर सर्म्पित किया गया है, जिसका प्रस्ताव संख्या FP/JH/MIN/38798/2019 है। प्रस्ताव इस कार्यालय में दिनांक 25.06.2019 को प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रस्ताव को अवलोकनोंपरांत निम्नलिखित विन्दुवार त्रुटियाँ पायी गयी हैं, जो निम्नवत् हैं:-


- (1) ग्राम बेलतु, थाना बड़कागांव, थाना संख्या -32, प्लॉट संख्या 84P रकवा 7.90 एकड़ को जंगल, पहाड़ के रूप में भूमि विवरणी में दर्ज किया गया है, जबकि प्लॉट संख्या -84 सीमांकित वन भूमि है।  
ग्राम नावाडीह थाना-बड़कागांव, थाना संख्या -45 का प्लॉट संख्या -162 को जंगल झाडी के रूप में दर्शाया गया है, जबकि प्लॉट संख्या -162 सीमांकित वन भूमि है।  
ग्राम सिरमा, थाना -बड़कागांव, थाना संख्या - 46 है, जबकि भूमि विवरणी में ग्राम सिरमा का थाना -केरेडारी, थाना संख्या -45 दर्शाया गया है।
- (2) CMPDI द्वारा अनुमोदित सम्पूर्ण माईनिंग प्लान प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।

- (3) संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि का ग्रामवार, खसरावार भूमि की छाया प्रति संलग्न है। यथा मूल प्रति समर्पित किया जाय।
- (4) प्रस्ताव में अपयोजित होने वाले कोल माईनिंग क्षेत्र में पडने वाले प्रत्येक ग्राम का, चादरवार कैडस्ट्रल मानचित्र वर्ष 1911-12 के पैमाना पर 16 ईंच = 1 माईल के स्केल पर माईनिंग क्षेत्र को वन भूमि एवं जंगल झाड़ी भूमि अलग-अलग रंग से दर्शाते हुए समर्पित किया जाय।
- (5) सेफ्टीजोन के बारे में स्पष्ट सूचना प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है। सेफ्टीजोन क्षेत्र को कैडस्ट्रल मानचित्र पर दर्शाया जाय।
- (6) डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट स्थल का सॉफ्ट कॉपी में प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है। साथ ही कहना है कि भूमि विवरणी में सुधार किये गये प्लॉट/ रकवा को सुधार करते हुए संशोधित प्रस्तावित स्थल डी0जी0पी0एस0 का सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में देना आवश्यक है।
- (7) विषयांकित परियोजना के प्रस्ताव में प्रभावित /पातन होने वाले वृक्षों की संयुक्त गणना सूची संलग्न नहीं है।
- (8) प्रस्ताव के साथ भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार मांग किये जाने वाले एन.पी.भी. एवं क्षतिपूरक वनरोपण एवं अन्य राशि जमा करने के संबंध में बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
- (9) समर्पित प्रस्ताव के फॉर्म - 'A' पार्ट - I के A-2 Details of User Agency के क्रम संख्या XIII में एन0टी0पी0सी0 द्वारा पूर्व में भारत सरकार को समर्पित प्रस्ताओं की सूची उपलब्ध कराने से संबंधित वर्णन नहीं है।
- (10) प्रस्तावित वनभूमि का संबंधित उपायुक्त के स्तर से निर्गत वनाधिकार अधिनियम 2006 अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।
- (11) प्रस्ताव अन्तर्गत पडने वाले जंगल-झाड़ी भूमि का संबंधित उपायुक्त से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।
- (12) वन भूमि अपयोजन के बदले दुगुणे वन भूमि क्षेत्र पर क्षतिपूरक वनरोपण कराने का स्थल नक्शा डी0जी0पी0एस0 के साथ समर्पित किया जाना आवश्यक है। इसके लिए संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर नक्शा प्राप्त कर लें।
- (13) वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्रांक 4715 दिनांक 27.11.2018 (छाया प्रति संलग्न) आदेश के क्रम में प्रपत्र -1 में उपायुक्त का प्रमाण पत्र एवं प्रपत्र -2 में प्रयोक्ता अभिकरण का बचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया जाना है।

- (14) संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि का ग्रामवार, खसरावार सत्यापित भूमि विवरण प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है। साथ ही प्राप्त प्रस्ताव में विषायांकित परियोजना हेतु अपयोजित होने वाले गैर वन भूमि (रैयती तथा गैरमजुरवा खास आदि) का संबंधित ~~भूमि विवरण~~ : भूमि विवरणी संलग्न नहीं है।

अतः अनुरोध है कि आपके द्वारा नौ प्रतियों में समर्पित प्रस्ताव वापस करते हुए अनुरोध है कि इंगित त्रुटियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव अविलम्ब इस कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन



वन प्रमंडल पदाधिकारी  
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल